

ग्राम राणेरी पटवार क्षेत्र राणेरी के रजसरा नम्बर
 319/1 रकबा 6.6368 हे० भूमि में जर्ची के 1/4
 हिस्से में डाबिरम मस्जिदी निषेधाज्ञा प्रार्थी
 के पक्ष में डॉ० सुप्रभासि सं. 1 ता 4 के निरूद्ध
 इस आदेश की जारी की जाती है कि डाबिरम
 सं. 1 ता 4 उक्त कदमूस्त, आराजी के प्रार्थी के
 कब्जा जबरन की भूमि में दखल अंदाजी न
 हो स्वयं करे डॉ० न ही किसी अन्ध बंध करार
 तथा राजस्व अफिलेख व मोक की कबालिगीत
 बनाये रखे। डाबिरम की तलबी रजि. एडी. सी
 करवा कर रसीद तीन दिवस में पेश करें। पत्रावली
 दिनांक 29/10/2024 को पेश हो।

सहायक कल
 बाप (फलोदा)

29/10/24

पत्रावली पेश हुई। कबील प्रार्थी उपरो डाबिरम सं.
 1 ता 3 के निरूद्ध कब्जा वप में एड पत्रावली कबालिगीत
 की गई। पत्रावली वास्ते कक्ष प्र. पत्र दिनांक
 03/12/24 को पेश हो।

03/12/2024 पत्रावली आज पेश हुई कबील प्रार्थी उपस्थित। कबील
 प्रार्थी बहस सुनी गयी। कबील प्रार्थी बहस एवं पत्रावली
 में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा
 के तीन बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन
 एवं अपूरणीय स्मृति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होते हैं।
 अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के
 कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसत सुमार
 होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाड तन्मील शाफिल
 अफतर हो।



निर्णय आज दिनांक 03-12-2024 को मेरे द्वारा
 लिखा जाकर सरे- इजलास सुनाया गया।

सहायक कल
 बाप (फलोदा)